(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 54 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री निशांत शर्मा पुत्र श्री मदनगोपाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी महेन्द्रा वर्कशॉप के सामने, नारेडा रोड, शिवाजी कॉलोनी, बारां (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– वासुमति एजेन्सी, नामदेव भवन के सामने, शाहबाद रोड, बारां हाल निवासी महेन्द्रा वर्कशॉप के सामने, नारेडा रोड, बारां (राज.)
2. मैसर्स– वासुमति एजेन्सी, नामदेव भवन के सामने, शाहबाद रोड, बारां हाल निवासी महेन्द्रा वर्कशॉप के सामने, नारेडा रोड, बारां (राज.)
3. श्री प्रवीण कुमार नागर पुत्र श्री रामचंद्र नागर निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, खेड़लीगंज अटरू जिला बारां (मालिक) मैसर्स श्रीराम ट्रैडिंग कॉर्पोरेशन 291, शॉपिंग सेन्टर, कोटा
4. मैसर्स श्रीराम ट्रैडिंग कॉर्पोरेशन 291, शॉपिंग सेन्टर, कोटा
5. श्री कुणाल सिंह चौहान (नोमिनी एवं भागीदार) मै. सुन्दर फूड एण्ड डेयरी ग्राम धोलखेडी विदिशा म.प्र. 464001
6. श्री कार्तिकेय सिंह चौहान (भागीदार) मैसर्स सुन्दर फूड एण्ड डेयरी ग्राम धोलखेडी विदिशा म.प्र. 464001
7. श्री प्रेमकुमार शिवकुमार जायसवाल (भागीदार) मै. सुन्दर फूड एण्ड डेयरी ग्राम धोलखेडी विदिशा म.प्र. 464001
8. श्री सुधीर हरयाल (भागीदार) मैसर्स सुन्दर फूड एण्ड डेयरी ग्राम धोलखेडी विदिशा म.प्र. 464001
9. मैसर्स सुन्दर फूड एण्ड डेयरी ग्राम धोलखेडी विदिशा म.प्र. 464001
10. श्री आनन्द गुप्ता पुत्र श्री नन्दकिशोर गुप्ता निवासी 29 सुभाष मार्ग, खिलचीपुर राजगढ म.प्र.(नोमीनी) मैसर्स मोलोको डेयरी प्रोडक्ट प्रा. लि. पीएच नं. 57 सर्वे नं. 96 / 4 एवं 96 / 5 इण्डस्ट्रीयल एरिया नं. 3 बालगढ देवास (म.प्र.) 455001
11. मैसर्स मोलोको डेयरी प्रोडक्ट प्रा. लि. पीएच नं. 57 सर्वे नं. 96 / 4 एवं 96 / 5 इण्डस्ट्रीयल एरिया नं. 3 बालगढ देवास (म.प्र.) 455001

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएसएक्ट, 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1 ता 4)
3– श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 5 ता 11)

निर्णय दिनांक 02.02.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.12.2022 को मैसर्स वासुमति एजेन्सी, नामदेव भवन के सामने, शाहबाद रोड, बारां हाल– महेन्द्रा वर्कशॉप के सामने, नारेडा रोड, बारां (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री निशांत शर्मा पुत्र श्री मदनगोपाल शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक / एच / एफएसएसए / (एफ–28) / नोटिफिकेशन / 2012 / 172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल क्रिम दूध (Subhamrit) 470 एम.एल. मूल पॉली पैक** फ्रिज में रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल क्रिम दूध (Subhamrit) 470 एम.एल. मूल पॉली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल क्रिम दूध (Subhamrit) 470 एम.एल. के 04 मूल पॉली पैक** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री निशांत शर्मा पुत्र श्री मदनगोपाल शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) को 128/– रूपये (अक्षरे एक सौ अट्ठाईस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल क्रिम दूध (Subhamrit) 470 एम.एल. मूल पॉली पैक** के चारो भागो को हिला मिलाकर एक स्वरूप करके चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयो मे भरा एवं प्रत्येक शीशी मे फार्मलीन की 40–40 बूंद डालकर ढक्कन एयर टाईट बंद किया प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1622 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1622 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री निशांत शर्मा पुत्र श्री मदनगोपाल शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/20 दिनांक 17.01.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1652/PHL/kota/Act/2023/1661 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल क्रिम दूध (Subhamrit) 470 एम.एल. मूल पॉली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (SubStandard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किये गये, जो शामिल पत्रावली किये जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल क्रिम दूध (Subhamrit) 470 एम.एल. मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (SubStandard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि मैसर्स वासुदेव एजेन्सी नामदेव भवन के सामने स्थित परिसर से युक्त खाद्य पदार्थ पाश्च्युराइज्ड फुल क्रीम दूध का नमूना लेना जाहिर किया गया है जबकि नामदेव भवन के सामने इस नाम का कोई प्रतिष्ठान नही है और न ही अप्रार्थी क्रमा 1 ता 4 के द्वारा उक्त पाश्च्युराइज्ड फूल क्रीम दूध अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय किया गया है। यह कि पाश्च्युराइज्ड फूल क्रीम दूध का उपयोग मानव जीवन के लिए घातक हो ऐसी कोई रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक द्वारा नही दी गई है। खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण उत्तरदाता को प्राप्त नही हुई है इसलिए उसकी अपील प्रस्तुत करने का तथ्य प्रथम दृष्टिया प्रकरण को दूषित करता है। अप्रार्थीगण उत्तरदाता का विक्रय पूर्ण रूप से सही है तथा मिथ्याछाप, सबस्टेण्डर्ड की श्रेणी मे नही आता है। क्योकि परिवाद के साथ विक्रयकर्ता के द्वारा विक्रय किए गए उक्त प्रॉडक्ट के बिल वाउचर परिवाद के साथ प्रस्तुत नही है इसलिए प्रथम दृष्टिया यह साबित नही होता है कि उक्त प्रॉडक्ट अप्रार्थीगण उत्तरदाता के द्वारा विक्रय किया गया हो। अप्रार्थीगण उत्तरदाता प्रॉडक्ट के निर्माता नही है प्रार्थीगण उत्तरदाता तो केवल प्रॉडक्ट के विक्रयकर्ता है जो प्रॉडक्ट अप्राथीगण उत्तरदाता ने जरिये बिल विक्रय किया था इस कारण अप्रार्थीगण उत्तरदाता की कोई जिम्मेदारी नही बनती है अगर किसी प्रकार की जिम्मेदारी भी तय होती है तो वह उत्पानकर्ता की होती है। अप्रार्थीगण उत्तरदाता के विरूद्व उक्त परिवाद झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है तथा चलने योग्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी क्रम 5 ता 11 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि उक्त उनवान का परिवाद माननीय न्यायालय मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैसर्स वासुदेव एजेन्सी नामदेव भवन के सामने स्थित परिसर मे उक्त खाद्य पदार्थ पाश्यूराइज्ड फुल क्रीम दूध का नमूना लेना जाहिर किया गया है जबकि नामदेव भवन के सामने इस नाम की कोई प्रतिष्ठान नही है और ना ही अप्रार्थी कम्र 05 ता 11 के द्वारा उक्त पाश्चूराइज्ड फुल क्रीम दूध अप्रार्थीगण का विक्रय किया गया है। यह कि अप्रार्थीगण उत्तरदाता के द्वारा जो भी प्रोडक्शन तैयार किये जाते है वह नियमानुसार पैकिंग के उपर मैनिफेक्चर डेट तथा एक्सपाइरी डेट अंकित की जाती रही है, उक्त परिवाद के साथ पाश्चूराइज्ड फुल क्रीम दूध का कोई पैकिंग शुदा पोली पैक का रेपर नही लगाया गया है, और ना ही उक्त सेम्पल का मैनिफेक्चर व एक्सपासरी डेट का कोई अंकन परिवाद मे किया गया है, जिससे उक्त पाश्चूराइज्ड फुल क्रीम दूध सब स्टेण्डर्ड का होना प्रमाणित नही होता है। पाश्चूराइज्ड फुल क्रीम दूध का उपयोग मानव जीवन के लिए घातक हो ऐसी कोई रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक द्वारा नही दी गई है। यह कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट अप्रार्थीगण उत्तरदाता को प्राप्त नही हुई है, इसलिए उसकी अपील प्रस्तुत करने का तथ्य प्रथम दृष्टिया प्रकरण को दूषित करता है। अप्रार्थीगण उत्तरदाता का प्रोडक्ट पूर्ण रू॰ से सही है तथा मिथ्याछाप, सबस्टेण्डर्ड की श्रेणी मे नही आता है। क्योकि परिवाद के साथ प्रोडक्शनकर्ता के द्वारा विक्रय किये गये उक्त प्रोडक्ट के बिल वाउचर परिवाद के साथ प्रस्तुत नही है, इसलिए प्रथम दृष्टिया यह साबित नही होता है कि उक्त प्रोडक्ट अप्रार्थीगण उत्तरदाता के द्वारा विक्रय किया गया हो। अप्रार्थीगण उत्तरदाता के विरूद्व उक्त परिवाद झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है तथा चलने योग्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1652/PHL/kota/Act/2023/1661 दिनांक 28.12.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है। प्रकरण मे अप्रार्थीगण के उक्त माल क्रय–विक्रय किये जाने संबंधित बिलो की छायाप्रतियां पत्रावली मे संलग्न है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड फुल क्रिम दूध (Subhamrit) 470 एम.एल. मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1652/PHL/kota/Act/2023/1661 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (SubStandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 5 ता 11 को कुल जुर्माना राशि 52,000/– रूपये (अक्षरे बावन हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 5 ता 11 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **02.02.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)